प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न लंबित विभागीय कार्यवाही के तीव्र गति से संचालन हेतु इस विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-14106 दिनांक-08.11.2017 के आलोक में अवर सचिव अथवा समकक्ष पद से अन्यून पंक्ति के भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संचालन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। उक्त सूची की वैधता 3 वर्षों के लिए होगी तथा सूचीबद्ध पदाधिकारियों की उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाने पर उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा।

इस सूची से ही संबंधित पदाधिकारियों को कार्य आवंटित किया जायेगा, तथा मानदेय के रूप में प्रति कार्यवाही की दर से भुगतान किया जाना प्रावधानित है। आवेदन हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारी की उम्र सूचीबद्ध किये जाने के वर्ष की पहली अप्रैल को 63 (तिरसठ) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी योग्यता एवं सेवा शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-14106 दिनांक-08.11.2017 के अधीन होगी।

इच्छुक सेवानिवृत्त पदाधिकारी दिनांक-31.01.2020 के संध्या 5:00 बजे तक अपना आवेदन निम्न प्रपत्र में भरकर ऑफलाईन आवेदन कर सकते है।

प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जॉच/संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन-पत्र

1. पदाधिकारी का नाम :-
2. सेवानिवृत्त की तिथि :-
3. आवेदन करने की तिथि को आयु:-
4. सेवानिवृत्त से पूर्व धारित पद:-
5. सेवानिवृत्त से पूर्व धारित पद एवं विभाग का विवरण:-
6. पूर्व में जॉच/संचालन पदाधिकारी का दायित्व निर्वहन किया गया है:-
7. यदि हॉ, तो उसका विवरण:-
8. क्या वार्धक्य सेवानिवृत्त हुए है अथवा ऐच्छिक सेवानिवृत्त:-
9. क्या सेवाकाल में किसी तरह का दण्ड अधिरोपित किया गया था:-
10. यदि हॉ, तो उसका विवरण:-

नाम-
हस्ताक्षर-
स्थायी/वर्तमान पता-
मोबाईल/फोन नं0-

स्थान:-
तिथि:-

(सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सूची बनाने हेतु विभाग/संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों की एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसके एक सदस्य अनिवार्य रूप से संबंधित विभाग के मुख्य निगरानी पदाधिकारी भी होंगे।)